

2018/00015

दिनांक
8/2/18

न्यायालय नारायणपुर (राजस्व) लूकरनगर, जिला बीकानेर

सरकार वनाग श्री श्रीराय सां मूलानु मठ

किस्म मुकदमा - आर.सी.ए. 1954 की धारा 22
एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 9

मुकदमा नम्बर 07/18 वर्ष 2018 फसल वर्ष

आदेश दिनांक कार्यवाही विवरण आदेश की तारीख

22/11/18

पटवारी हल्का मु. 10
की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। मुताबिक शोर्ट अप्रार्थी ने
ग्राम/चक राजजालिया के
खसरा नं./मु.नं. 168

तादादी 1-0 बीघा
राजकीय भूमि पर सम्बत 2074 में
नाजायज कब्जा कर कास्ट कर ली। अप्रार्थी को धारा 22/31 के तहत नोटिस
जारी किया जावे एवं मू अभिलेख निरीक्षक को फसल बूट कर हेतु लिखा
जम्मे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/2/18 को पेश हो।

गो.प.नरन

03
22/18

8/2/18

6999 ली पेश हुई। खसरा नं. 168 का खसरा
इस पर 100 रु. का खसरा नं. 168 का खसरा
पेश किया गया। इस पर 100 रु. का खसरा
नं. 168 का खसरा नं. 168 का खसरा

जा. आ. ए. ए.

घराना के पत्र
109 रु. का ख. 07 का
मांग रायम श्री गल्ली
14/1/18

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

प्रकरण संख्या: ०७ / 2018

दिनांक: 8/2/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का धुगथ ने रिपोर्ट (पी-4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल श्री. राम पुत्र श्री. राम जाति गि साकिन इ.ए. ने ग्राम ए.ए. 2.1.6.C के खसरा नं० 168 रकबा 1.0 बीघा जोहड़ प्रायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में कश्त/बाडा/कच्चा/पक्का मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बन्धित गैर सायल का सा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। सम्बन्धित गैरसायल उपरिथत। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बन्धित गैर सायल श्री. राम पुत्र श्री श्री. राम जाति गि साकिन इ.ए. ग्राम ए.ए. 2.1.6.C खसरा नं० 168 रकबा 1.0 बीघा के अतिचार करने पर राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व 0.50 का 50 गुणा रूपये 25/- शक्ति से दण्डित किया जाता हैं। तथा नौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली बाबत सम्बन्धित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा ज़माना वसूली बाबत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत ए.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरणसर